न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 68/2002024
GCMS NO. : 2024/00126

–: प्रार्थीगण :–

1. घनश्याम पुत्र गोदूराम
2. जगदीश पुत्र गोदूराम
3. पूना पुत्र गोदूराम
4. मुला पुत्र गोदूराम
5. राधेश्याम पुत्र गोदूराम
6. सत्यनारायण पुत्र गोदूराम
   जातियान–नाई,निवासीगण–लौटोती
   तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर

बनाम

–: अप्रार्थीगणगण :–

1. चन्दूदेवी पुत्री शिवजी
2. देवाराम पुत्र शिवजी
3. नैनीदेवी पुत्री शिवजी
4. पोकरराम पुत्र शिवजी
   जातियान–जाट, निवासीगण–लौटोती,तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर
5. तहसीलदार जैतारण, जिला ब्यावर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 23/03/2024

उपस्थितः–1.श्री नितेश चौधरी, पियुष सागर, नरेश कुमावत अधिवक्ता, प्रार्थीगणगण।
2.श्री सुरेश चौधरी, श्री डांवरराम चौधरी अधिवक्ता, अप्रार्थीगणगण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 10/07/2024**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगणगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान मे स्थित वाके आराजी खसरा नम्बर 530 रकबा 0.4856 हैक्टयर बारानी दोयम आई हुई है। जिसके प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है तथा सभी सहखातेदारान् भी आपसी परिवार के सदस्य है। वर्णित आराजी खसरान भूमि मे आज दिन तक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पास ही अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 529/1081 रकबा 0.9712 हैक्टयर की आई हुई है। लेकिन सीमा विवाद होता रहा है तथा अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि मे अवैधानिक तरीके से कब्जा करने की नियत से अतिक्रमण कर अपनी भूमि मे मिलाना चाहतें है एवं अप्रार्थीगण काफी दिनों से सीमा को लेकर मौके पर विवाद कर रहे है जिस पर कई बार आर आई पटवारी एवं तहसीलदार को सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया और कहा कि सीमा विवाद को लेकर उक्त खसरान् भूमि के नापचौप करावे एवं सीमाज्ञान करवाने बाबत् निवेदन भी किया किन आज दिन तक सीमा ज्ञान नही हो पाया तथा मौके पर विवाद होता है इसलिए उक्त खसरान् भूमि का सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक होने से उक्त खसरान् भूमि आराजी का सीमाज्ञान

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

करवाने हेतू उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। आए दिन इस विवाद एवं सीमाज्ञान के विवाद से बचने के लिए उक्त खसरान भूमि का सीमाज्ञान न्यायहित मे करवाने हेतू एक प्रार्थनापत्र अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण एवं पटवारी हल्का सेवरिया को दिनांक 04/03/2023 को पेश किया लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार से कोई सीमाज्ञान नही होने से मजबूरन उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। उक्त खसरान् भूमि सरहद मौजा–लौटोती, पटवार हल्का–लौटोती, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर, राजस्थान मे स्थित होने से उक्त प्रार्थनापत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

प्रार्थीगणगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया, जो शा.मि. है।

अप्राथीगण अधिवक्ता जवाब पेश नहीं कर बहस हेतु तैयार होने से बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी पेश की गई, जो शा.मि. है।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है–

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगणगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 530 रकबा 0.4856 हैक्टयर बारानी दोयम आई हुई है। जिसके प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है तथा सभी सहखातेदारान् भी आपसी परिवार के सदस्य है। वर्णित आराजी खसरान भूमि मे आज दिन तक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।
2. प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पास ही अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 529/1081 रकबा 0.9712 हैक्टयर की आई हुई है। लेकिन सीमा विवाद होता रहा है तथा अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि मे अवैधानिक तरीके से कब्जा करने की नियत से अतिक्रमण कर अपनी भूमि मे मिलाना चाहतें है एवं अप्रार्थीगण काफी दिनों से सीमा को लेकर मौके पर विवाद कर रहे है इसलिए प्रार्थी ने मौके की आराजी का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाई जाने का निवेदन किया।
3. उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के भू–नक्शे की प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणगण की आराजी की सीमाएं परस्पर लगती हुई हैं। अतः खातेदारान् के मध्य खसरा नम्बर विशेष की वास्तविक सीमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादों का समाधान मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

अधिरोपित करवाते हुए करवाया जा सकता है, ताकि काश्तकारों के मध्य अनावश्यक विवाद एवं जटिलता उत्पन्न न हो।

अतः उपर वर्णित विवेचन के आधार पर हम हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 530 रकबा 0.4856 हैक्टयर बारानी दोयम की आराजी का मुताबिक जमाबंदी एवं भू–नक्शा के मौके पर नाप चौप करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणगण खातेदारान के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की सीमा पर सीमाचिन्ह अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व ग्राम फालका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील–जैतारण में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 530 रकबा 0.4856 हैक्टयर बारानी दोयम एवं अप्रार्थीगणगण की भूमि के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया की अनुपालन करते हुए जमाबंदी एवं भू–नक्शे के मुताबिक मौके पर नाप–चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें। प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक अधिरोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। यदि मौके पर खातेदारान के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जावे। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 10/07/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested